संख्या– 1790 /III (2)/14–01(बजट)/2013

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

,सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 18 मार्च, 2014

विषयः– वित्तीय वर्ष 2013–14 में लोक निर्माण विभाग हेतु आयोजनागत पक्ष की की विभिन्न मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–3498/01 बजट (निर्माणाधीन मार्ग कार्य रा0से0)/2013–14 दिनांक 14–03–2014 तथा पत्र सं0–3476/25 बजट (एन0पी0वी0 प्रतिकर भुग0–रा0से0)/2013–14 दिनांक 10–03–2014 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संः– 2354/III(2)/13–01(बजट)/2013 दिनांक 11–04–2013, शासनादेश संः–6105/III(2)/13–01(बजट)/2013 दिनांक 29–10–2013, शासनादेश संः– 16/III(2)/14–05(बजट)/2013 दिनांक 09–01–2014, शासनादेश संः– 464/III(2)/14–05(बजट)/2013 दिनांक 25–01–2014 एवं शासनादेश संः– 1058/III(2)/14–05(बजट)/2013 दिनांक 19–02–2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में अनुदान संः–22 की आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत वाह्य सहायतित योजना में हो रही सम्भावित बचतों तथा राज्य योजनान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार विभिन्न 02 मदों में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता को देखते हुए संलग्न बी0एम0–9 में उल्लिखित विवरणानुसार **₹ 61.00 करोड़ (₹ इकसठ करोड़ मात्र) की धनराशि** व्यावर्तित करते हुए व्यय हेतु, आपके निर्वतन पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(i)– इस सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि संलग्न पुनर्विनियोग प्रस्तावानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में नही किया जायेगा।

(ii)– उक्तानुसार अवमुक्त की जारी रही धनराशि का व्यय, उपलब्ध कराई गई सूची में उल्लिखित कार्यो में खण्डवार आवंटित सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

(iii)– आयोजनागत पक्ष की विषयगत योजनाओं हेतु तत्काल सी0सी0एल0 निर्गत कर उसकी प्रति शासन को भी प्रेषित की जायेगी। विभागाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक खण्ड से समय से योजनाओं का विवरण प्राप्त करके समय से उसकी साख सीमा निर्गत करायें ताकि स्वीकृत की जा रही धनराशिं का समय से उपयोग हो सके और योजना का लाभ जनता को प्राप्त हो सके।

(iv)– वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड V भाग–I के प्राविधानों के सभी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने के बाद ही आवश्यकता के अनुसार धनराशि आवश्यकता होने पर ही आहरित एवं वितरित की जायेगी।

(v)– इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र 284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30–03–2013 में उल्लिखित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(vi)– उत्तराखण्ड में लागू समस्त वित्तीय नियमों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अधीन ही समस्त प्रकियाये पूर्ण की जायेंगी तथा ऐसे कार्य जो मानक के अनुसार 18 माह में पूर्ण होने चाहिये, ऐसे प्रकरणों में अधिवृद्धि या शेड्यूल रेट्स की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।

(vii)– साख सीमा मानक के अनुसार प्रत्येक त्रैमास में निर्गत की जायेगी तथा यदि मानक से अधिक साख सीमा की आवश्यकता हो तो तत्काल शासन से इस सम्बन्ध में अनुमति प्राप्त की जायेगी।

(viii) साख सीमा के आधार पर आवंटित धनराशि का एकमुश्त आवंटन आहरण वितरण अधिकारी/कार्य स्थल पर किया जाय एवं उसका पूर्ण विवरण बी0एम0 के प्रस्तर–10 में भरकर शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ix)– जिन प्रकरणों पर शासन से पूर्वानुमति की आवश्यकता हो उन पर यथाशीघ्र सुस्पष्ट विवरण एवं प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(x)– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–22 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत लेखा शीर्षकों एवं प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा ।

(xii)– **यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्याः– 761/XXVII(2)/2013 दिनांक 15 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
प्रभारी सचिव

संख्या– 1790 (1)/III(2)/14–01(बजट)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– एकीकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय (साईबर ट्रजरी), 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
5– निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र ,उत्तराखण्ड देहरादून।

आज्ञा से,

(महिमा)
उप सचिव

शासनादेश सं0– 1790 / III–(2) / 14–01(बजट) / 2013 दिनांक 18 मार्च, 2014 का संलग्नक

अनुदान सं0–22, 5054 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय (आयोजनागत)

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	मद / योजना का नाम / उपमद		वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में कुल बजट प्राविधान (प्रथम अनुपूरक + राज्य आकस्मिकता निधि सहित)	वर्तमान में अवमुक्त की जा रही कुल धनराशि
1	2		3	4
1–	निर्माणाधीन मार्ग कार्य (रा0से0)	5054– लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 04– जिला तथा अन्य सड़कें 800– अन्य व्यय 03– राज्य सैक्टर 01– चालू निर्माण कार्य 24– वृहत् निर्माण कार्य	43000.00	**5300 .00**
2–	सड़क / भवन / सेतु कार्यो का प्रतिकर एवं एन0पी0वी0 भुगतान	5054– लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 04– जिला तथा अन्य सड़कें 800– अन्य व्यय 05– सड़क / भवन / सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण–00 24– वृहत् निर्माण कार्य	3000.00	**800.00**
	योग:–			**6100 .00**

(₹ इकसठ करोड़ मात्र)

(महिमा)
उप सचिव।